

**न्यायालय:-दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, जिला उमरिया (म.प्र.)**

क्रमांक 180 /C.J.M./2025

उमरिया, दिनांक 25.03.2025

**::संशोधित रिमांड ड्यूटी::**

मैं दीपक कुमार अग्रवाल, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उमरिया म0प्र0 धारा 12 एवं 13 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 तथा म0प्र0 दण्डिक नियम एवं आदेश के नियम 31 के उपबंधों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर की अधिसूचना क्रमांक सी/1016/एक-7-3/2024/भाग-1 दिनांक 08.02.2025 के पालन में दिनांक 24.03.2025 को माह अप्रैल 2025 हेतु किए गए रिमांड ड्यूटी आदेश में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता हूँ -

क्र.	रिमाण्ड ड्यूटी की तारीख	न्यायिक मजिस्ट्रेटों के नाम
1	14 अप्रैल 2025	श्रीमती वीणा खलखो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
2	13 अप्रैल 2025	श्री राहुल सोनी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी उमरिया
3	6, 18, 19, 27 अप्रैल 2025	श्री गोपालनंदन पाल न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिरसिंहपुर पाली

**नोट - अप्रैल माह की शेष रिमांड ड्यूटी यथावत रहेगी।**

दीपक कुमार अग्रवाल  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला उमरिया (म0प्र0)

पृष्ठांकन क्रमांक 180 /C.J.M./2025

उमरिया दिनांक 25.03.2025

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमती वीणा खलखो, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
2. श्री राहुल सोनी, जेएमएफसी जिला उमरिया म0प्र0।
3. श्री गोपाल नंदन पाल, जेएमएफसी बिरसिंहपुर पाली जिला।
4. निष्पादन लिपिक प्रधान जिला एवं सत्र न्यायालय उमरिया की ओर माननीय के समक्ष प्रस्तुत करने बावत्।
5. जूनियर सिस्टम एनालिस्ट, जिला न्यायालय उमरिया की ओर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित।

दीपक कुमार अग्रवाल  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जिला उमरिया (म0प्र0)